पाठ-10

अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश

अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आन्दोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिये सन् 1935 ई0 का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत-

- केन्द्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रान्तों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई।
- इस संघ में भारत के प्रान्तों तथा देशी रियासतों (रजवाड़ों) को शामिल किया गया।
- यह भी व्यवस्था की गई कि केन्द्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे।
- केन्द्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गये।

शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूँिक गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई।

सितम्बर 1939 ई0 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किये भारत को युद्ध में शामिल किये जाने के विरोध में, अक्टूबर 1939 ई0 में सभी कांग्रेस मंत्रि मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940

विनोबा भावे	सरदार पटेल	सी 0 राजगोपालाचारी

कांग्रेस मंत्रि मण्डल के त्यागपत्र देने के पश्चात् गाँधी जी ने पुनः आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रहियों में

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पं0 जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुँचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था 'युद्ध में सहायता न करना'। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की। किन्तु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजांे से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलम्ब सहन नहीं होगा।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन

बम्बई (मुम्बई) में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को 'करो या मरो' की भावना से आन्दोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गाँधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आन्दोलन शुरू हो गया। बड़े - बड़े शहरों में जुलूस निकाले गये और हड़तालें हुईं। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया।

सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गये। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गये। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे-जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आन्दोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया।

कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झण्डा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियाँ दीं। छात्र विद्यालय छोड़कर आन्दोलन में कूद पड़े। जगह-जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से सम्बन्धित परचे लिखने तथा बाँटने में लग गये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आन्दोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में आन्दोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रान्ति फैल गई।

सरकार ने अपनी सारी शक्ति आन्दोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बन्दी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध

में गाँधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गाँधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गाँधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया

अरुणा आसफ अली

क्रान्तिकारी गतिविधियाँ

ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहाँ एक ओर श्री जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रान्तिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गये। उन्होंने निर्भय होकर देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएँ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं।

हेमू ने 23 अक्टूबर सन् 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फाँसी दे दी गई। इस समय उसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी।

भूमिगत गतिविधियाँ

इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढाँचा भी तैयार हो गया था। इस आन्दोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राममनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आर0पी0 गोयनका आदि ने सँभाली। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी परन्तु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आन्दोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था।

आजाद हिन्द फौज का संघर्ष

आजाद हिन्द फौज का नाम आते ही सुभाष चन्द्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चन्द्र बोस ने फारवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। जनवरी 1943 को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुँचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी द्वारा बन्दी बनाए गये 50 हजार सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए।

उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झाँसी रेजीमेण्ट के नाम से बनाया गया। आजाद हिन्द फौज के सिपाही सुभाष चन्द्र बोस को 'नेता जी' कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो' के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 को आजाद हिन्द रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गाँधी जी को सम्बोधित करते हुए कहा- 'भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ चाहते हैं।' सुभाष चन्द्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा 'तुम मुझे खून दो', मैं तुम्हे आजादी दूँगा'।

आजाद हिन्द फौज ने रंगून (यंगून) से दिल्ली के लिए कूच किया। आजाद हिन्द फौज बर्मा (म्याँमार) तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आजाद हिन्द फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्म समर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया।

सैनिकों का विद्रोह

1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह-जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे।

ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैण्ड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई।
जब सन् 1945 ई0 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े-बड़े देशों द्वारा दिए गये आश्वासनों की पूर्ति करने की माँग जोर पकड़ने लगी। अमरीका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे।

कैबिनेट मिशन और अन्तरिम सरकार

जुलाई 1942 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री क्लीमेन्ट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार - विमर्श करने के लिये अपने मन्त्रि मण्डल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति भारत भेजी। इस समिति को 'कैबिनेट मिशन' कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार - विमर्श के बाद दो मुख्य निर्णय लिये गये-

भारत में एक अन्तरिम सरकार गठित की जाये जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।

ीभारत का नया संविधान बनाने के लिये एक संविधान सभा गठित की जाय। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गईं।

1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम

लार्ड माउन्टबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूँकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे होते रहे। अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अन्तिम रूप से निर्णय किया गया। इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' कहते हैं।
इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जायेगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी।
इस प्रकार भारत की स्वतत्रंता का मार्ग खुल गया। लार्ड माउन्टबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक
संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा।

भारत का विभाजन

स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी लोग अपने-अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने माँग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूँकि भारत में उन पर हिन्दुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की माँग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आन्दोलन छेड़ा। जगह-जगह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे।

अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिन्दू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। पर अनेकों हिन्दू-मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिन्दू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे व एक-दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैलाई गईं। गाँधीजी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने-बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, "मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा पर यह नहीं होने दूँगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिएँ। उन्हें आत्म-सम्मान के साथ चलना है।"

7 जून, 1947, भारत-पाक विभाजन स्वीकार किया गया। नेहरू (बाएँ), माउंट बेटेन (बीच में), जिन्ना (दाएँ)

वे इस सिद्धान्त पर अडिग थे कि भारत में हिन्दू और मुसलमान, के लिए बराबर जगह है। यह बात हिन्दू सम्प्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिन्दू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गाँधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी।

शब्दावली - प्रभुसत्ता - पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता , रियासत - मिलकियत, हुकूमत ।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ-

(क) 1945 ई0 में (ख) 1947 ई0 में

(ग) 1946 ई0 में (घ) 1942 ई0 में

(2) फारवर्ड ब्लॉक का संबंध है-

(क) राम मनोहर लोहिया (ख) जय प्रकाश नारायण

(ग) अरूणा आसफ अली (घ) सुभाष चन्द्र बोस

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे ?

(2) 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, यह कथन किसका है ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए ? किन्हीं तीन कारणों को लिखिए।

(2) कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) 1935 ई0 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई ?

प्रोजेक्ट वर्क- आजकल होने वाली हड़तालों एवं चक्का जाम के द्वारा लोग किस प्रकार की माँगों को मनवाना चाहते हैं ? आप इन समस्याओं के हल के लिए कौन सा तरीका अपनाएगें।